



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक : एफ 80(ग्रावि/नरेगा/आईईसी/विविध/पार्ट-2/2022-23 /02615/205 जयपुर, दिनांक 28/01/2025

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त, राजस्थान

विषय:-जिला स्तर पर नरेगा संवाद कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 51(1) आरडी/नरेगा /शिका/संवाद/2010-11
जयपुर, दिनांक 07.07.2010 एवं 19.07.2010

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा जिला स्तर पर नरेगा संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे, ताकि महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके।

उपरोक्त संदर्भित आदेश द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक के पश्चात आधे दिन का मासिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन नियमित रूप से किया जावे, जिसमें जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि, नरेगा से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जावे, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर संभव हो सके।

जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम के कार्यवाही विवरण की प्रति विभाग को प्रतिमाह आवश्यक रूप भिजवाये जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

(पुष्पा सत्यानी)

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस।
3. परि.निदे. एवं उप शासन सचिव, ईजीएस।
4. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्तर पर संवाद राजस्थान को पालनार्थ।

6. प्रोग्रामर ईजीएस को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने

Signature valid

Digitally signed by Puspa Satyani

Designation: Commissioner

Date: 2025.01.28 17:26:23 IST

Reason: Approved



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 51 (1) ग्रावि/नरेगा/संवाद/10-11

जयपुर, दिनांक

-:: कार्यालय आदेश: -

- 7 JUL 2010

राज्य स्तर पर प्रति माह माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक संगठनों की उपस्थिति में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उक्त संवाद कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न जिलों में नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय एवं योजनान्तर्गत पाई गई अनियमितताओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। तत्पश्चात् राज्य स्तर से संवाद में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जाती है।

संवाद - 9 कार्यक्रम में उठाई गई मांग के अनुसार राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि इसी प्रकार मासिक संवाद कार्यक्रम जिला स्तर पर भी आयोजित किये जावे।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि:-

1. माह जुलाई 2010 से जिला स्तर पर नरेगा योजना की मासिक समीक्षा बैठक के पश्चात् आधे दिन संवाद कार्यक्रम का आयोजन नियमित रूप से किया जावे।
2. संवाद कार्यक्रम में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही की जावे।
3. संवाद कार्यक्रम के आयोजन की पूर्व सूचना एवं कार्यवाही विवरण से इस विभाग को अवगत करावे।

भवदीय

13/7/10

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त संबंधित जिला परिषद।
7. ~~संबंधित विकास अधिकारी, राजस्थान।~~
8. संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

परि० निदे० एवं पदेन उप सचिव ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक 51(1) आरडी / नरेगा / शिका / संवाद / 2010-11

जयपुर, दिनांक:-27.07.10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

29 JUL 2010

विषय:- जिला स्तर पर नरेगा संवाद कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में।
संदर्भ :- इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 51(1) आरडी / नरेगा / शिका /
संवाद / 2010-11 जयपुर, दिनांक 07.07.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रायः देखा गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधि एवं अन्य शिकायतकर्ताओं द्वारा माननीय मंत्री महोदय सहित अन्य राज्य अधिकारियों के समक्ष व्यक्तिशः अपनी समस्या प्रस्तुत की जाती है परंतु स्थानीय तथ्यों की उपलब्धता के अभाव के कारण उक्त समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रासंगिक कार्यालय आदेश द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार जिला स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक के पश्चात आधे दिन का मासिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन नियमित रूप से किया जावे, जिसमें जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि, नरेगा से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जावे, जिससे क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर अविलम्ब संभव हो सके।

भवदीय,

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस